184

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र0 निग 878-II-16 सन् 2016

1. जानकी पिता बटिया कुर्मी
2. रोशन पिता बटिया कुर्मी

निवासीगण ग्राम झमटुली, तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .... **निगरानीकर्तागण / आवेदकगण**

बनाम

1. हरिया पिता झल्ला कुर्मी
2. बटिया तनय झल्ला कुर्मी
3. मु0 कट्टू वेवा रमुवा कुर्मी
4. मुरलीधर तनय रमुवा कुर्मी
5. बारेलाल तनय रमुवा कुर्मी
6. हल्के तनय रमुवा कुर्मी
7. खुमनी पिता फिरूवा कुर्मी

सभी निवासीगण ग्राम झमटुली, तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर म0प्र0 .... **गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण**

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्र0 36 / अपील / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2016 से दुखी होकर निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ।

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते है :–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम झमटुली स्थित भूमि खसरा नंबर 1045, 1046 , 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1235, 1237, 1239, 1240, 1241, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1258, 1260, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271 कुल किता 42 एकत्र रकवा 6.098 हे0 भूमि में हिस्सा 1/2 मनुवा कुर्मी पिता भैंरव कुर्मी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी , उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बसीयतनामा उप–पंजीयक कार्यालय राजनगर से श्री मनुवा कुर्मी द्वारा दिनांक 16.08.1994 को निगरानीकर्तागण के पक्ष में लेख किया गया था चूंकि मृतक मनुवा कुर्मी लाऔलाद फौत हुआ था, जिसकी कोई संतान नही थी, इसलिए निगरानीकर्तागण ने ही उसकी सेवा खुशामद की थी तथा स्व0 मनुवा कुर्मी की मृत्यु के पश्चात नायब तहसीलदार प्रभारी

क्रमशः //2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-878-दो/2016 जिला छतरपुर जानकी विरूद्ध हरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 36/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15-02-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-03-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

18.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य